प्रेस नोट दिनांक-10.07.2025

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

🔷 **थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा कुल मात्रा 120.96 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब व 36 लीटर बीयर बरामद के साथ 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

🔷 **बरामद शराब व बीयर की कुल अनुमानित कीमत लगभग 89,000/- हजार रूपये**

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में शराब/मादक तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व देवेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 09.07.2025 को समय करीब 23.10 बजे ग्राम जेठमलपुर तिराहा एनएच 02 हाइवे से चेकिंग के दौरान एक स्कार्पियो वाहन संख्या UP22M8225 से कुल 14 पेटी अंग्रेजी शराब 8PM फ्रूटी प्रत्येक पेटी में 48 पाउच, कुल 672 पीस (प्रत्येक पाउच में 180 ML) कुल 120.96 लीटर व 3 पेटी बियर हावर्डस 5000 प्रत्येक पेटी में 24 केन कुल 72 केन प्रत्येक केन में 500 ML, कुल 36 लीटर के साथ एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 89,000 हजार रुपये है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कंचन सिंह पुत्र श्री कृष्णा सिंह निवासी ग्राम सहसी थाना चेनारी जिला रोहतास बिहार उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा पर मु.अ.सं. 185/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि स्कोर्पियों से बरामद शराब को अलग-अलग जगह से खरीदकर बिहार में बिक्री हेतु ले जा रहा था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1.कंचन सिंह पुत्र श्री कृष्णा सिंह निवासी ग्राम सहसी थाना चेनारी जिला रोहतास बिहार उम्र 35 वर्ष।

विवरण बरामदगी-

1.14 पेटी अंग्रेजी शराब 8PM फ्रूटी प्रत्येक पेटी में 48 पाउच, कुल 672 पीस प्रत्येक पाउच में 180 ML कुल 120.96 लीटर।

2.03 पेटी बियर हावर्डस 5000 प्रत्येक पेटी में 24 केन कुल 72 केन प्रत्येक केन में 500 ML, कुल 36 लीटर।

3.एक वाहन स्कार्पियो वाहन संख्या UP22M8225।

4.01 मोबाइल फोन।

5.नगद 6300/- रूपयें।

बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 89 हजार रूपये है।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-</u>

प्रभारी निरीक्षक- विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
उप निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह सैयदराजा जनपद चन्दौली
का0 विष्णु प्रजापति थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
का0 शंकर राम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
का0 बृजेश चौहान थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
का0 राजू सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

ऑपरेशन कन्विक्शन

▶️ **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

▶️ **मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पेशल जज एससी/एसटी) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 08 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 17000-17000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

जनपद चन्दौली थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 11.09.2005 को धारा 147,148,325,504,307 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मनोज मौर्य पुत्र नन्दलाल मौर्य 2. नवल किशोर मौर्य पुत्र राजकुमार मौर्य 3.विन्दू उर्फ विजय पुत्र ओमकारनाथ 4.रिंकू उर्फ रत्नेश पुत्र ओमकारनाथ मौर्य 5. कृष्णानन्द मौर्य पुत्र रामनाथ 6. शशिकान्त मौर्य पुत्र जयप्रकाश 7.मुसाफिर मौर्य पुत्र रामचरण 8. राघव मौर्य पुत्र रामचरण निवासी गण ग्राम रानेपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 72/2005 धारा 147,148,325,504,307 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी व अभियोजक श्री जयप्रताप सिंह (एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार का0 बृजेश सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक- 10.07.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पेशल जज एससी/एसटी) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्तों 1.मनोज मौर्य पुत्र नन्दलाल मौर्य 2. नवल किशोर मौर्य पुत्र राजकुमार मौर्य 3.विन्दू उर्फ विजय पुत्र ओमकारनाथ 4.रिंकू उर्फ रत्नेश पुत्र ओमकारनाथ मौर्य 5. कृष्णानन्द मौर्य पुत्र रामनाथ 6. शशिकान्त मौर्य पुत्र जयप्रकाश 7.मुसाफिर मौर्य पुत्र रामचरण 8. राघव मौर्य पुत्र रामचरण निवासी गण ग्राम रानेपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली प्रत्येक अभियुक्त को **07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 17000-17000 रुपये के** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।